R.M.M. Law College
Saharsa
Amrendra Kumar Trivedi
Part-Time Teacher
23/8/2020

पक्षकार अपने साक्षियों को किस क्रम से पेश करेंगे और उनकी परीक्षा का क्रम क्या होगा यह भाग के अनुसार सिविल एवं दंड प्रक्रिया से सम्बन्धित विधि और पद्धति द्वारा विनियमित होगा

आपराधिक मामलों में सर्वदा अभियोजन ही साक्ष्य प्रारम्भ करता है। किन्तु सिविल मामलों में साक्षियों के परीक्षा का क्रम सामान्यतः वाद में किए गए अभिवचनों पर निर्भर होता है। अभिवचनों पक्षकारों की परीक्षा एवं दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु के आधार पर विवाद्यक विरचना के ही जहाँ यह अवधारित किया जाता है कि किस पक्षकार को साक्ष्य प्रारम्भ करना होगा।

साधारण ऐसे नियम यह है कि वादी ही अपना साक्ष्य पहले देता है, किन्तु मामले के अभिवचन ऐसे हो सकते हैं कि साक्ष्य प्रारम्भ करने का अधिकार प्रतिवादी को हो। यदि प्रतिवादी द्वारा प्राख्यात तथ्यों को स्वीकार कर लेता है और प्रतिविरोध से कुछ अन्य तथ्यों को प्राख्यात करते हुए वह कहता है कि अपने कारणों से फलस्वरूप वादी माँगे हुए अनुतोष

पेज नं० 2.

का दबाया नहीं है तो साक्ष्य आरम्भ करने का अधिकार प्रतिवादी को होगा

किन दशाओं मे अधिकार वादी को तथा किन दशाओं प्रतिवादी को होगा इसके लिये सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 के कि विभिन्न नियमों को देखना चाहिए।

साक्षी किस क्रम से पेश किये जाय इस सम्बन्ध मे कोई निश्चित नियम या प्रावधान नहीं है। अतः पक्षकार अपने विवेक से ही यह निश्चय करता है कि उसके गवाह किस क्रम से पेश किये जायेंगे। न्यायालय आमतौर पर इसमें हस्तक्षेप नहीं करता किन्तु जहाँ कि यह धारा वांछित करती है न्यायालय को हस्तक्षेप करने का या आदेश देने का अधिकार है कि गवाही के पेशकर्ता का क्रम क्या हो। पक्षकार स्वयं गवाह — जो तथ्य किसी पक्षकार के निजी ज्ञान मे है तो उसके विषय मे उसको स्वयं ही साक्ष्य देना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसके मामलों को क्षति पहुँचने का अंदेशा रहता है। अतः किसी पक्षकार के लिए आवश्यक नहीं कि प्रतिपक्षी को अपने गवाह के रूप मे पेश करें ऐसा करना उसके लिये हितकर नहीं होता।

क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो
~~प्रति~~ प्रतिपक्षी का प्रतिसाक्ष्य उसी के
~~कै~~ साक्ष्य का अंश बन जाता है।
किन्तु यदि एक पक्षकार प्रतिपक्षी
को पेश करना ही चाहता है तो उचित
यही है कि उसे साक्षियों को ~~...~~ एक
पेश करने बाद पेश करे।

इस विषय में एक पारंपरिक
विधिक नियम या पद्धति नहीं है।
अतः पक्षकार अपने विवेक से ही यह
तय करता है कि गवाह ~~कि~~ किस क्रम
में पेश किये जाय। न्यायालय
साधारणतया इस बात पर हस्तक्षेप
नहीं करता। किन्तु न्यायालय को
यह अधिकार है कि गवाहों को पेश
करने का क्रम बता दे। पक्षकार
कोई बात ले ही उनके विरुद्ध
स्वयं अभिसाक्ष्य दे सकता है।